<u>राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर</u>

<u>अपील संख्या 955/2014/जयपुर</u>

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय,वृत–एल,जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रॉ जूट ट्रेडिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

<u>श्री सुनील शर्मा,सदस्य</u>

उपस्थित

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 24.04.2015

<u>निर्णय</u>

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,वृत–एल,जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा)ने अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 289/अपील्स–तृतीय/आरवीएटी/एफ/जयपुर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 22.10.2012 को वाहन संख्या 14जीबी/0076 को ट्रांसपोर्ट चेकिंग नगर से वाहन में लदे माल 50 नग चायपत्ती कुल वजन 1500 किलो जालुपुरा के लिए जाते हुए चेक किया। उक्त माल से सम्बन्धित दस्तावेजों मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स डी एच टी सी इण्डिया लिमिटेड,कोलकता द्वारा जारी डिलीवरी स्टेटमेंट 922684, जो राजूट ट्रेडिंग कम्कपनी को जारी किया गया था, पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर घोषणा पत्र वैट–47 परिवहनित माल के साथ नही पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं है, अतः राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (2)(बी) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006(जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 53(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर से असन्तुष्ट होकर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 2,58,853/–पर 5 प्रतिशत की दर से कर रू. 12,943/– व 30 प्रतिशत की दर सेक शास्ति रू. 77,656/–आरोप्ति कर कुल रू. 90,599/– की मांग सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 06.11.2013 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

सृजित मांग को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.20131 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि जांच के समय माल प्रभारी एवं वाहन चालक द्वारा केवल डिलीवरी स्टेटमेन्ट पेश किया गया है तथा अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। उनका कथन है कि माल अधूरे दस्तावेजों के साथ परिवहनित किया गया,जिससे अधिनियम की धारा 76 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। वक्त जांच माल के पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नही करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में दिनांक 25.10.2012 को प्रस्तुत जवाब के साथ वैट–47 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 6.11.2012 को वैट–47 कीद मूल प्रति पेश की गई है। उनका कथन है कि नियम 53 के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के अनुसार वैट–47 की मूल प्रति माल के साथ होना चाहिए जबकि जवाब के साथ छाया प्रति प्रस्तुत की गई,जिससे करापवंचन की दोषी मानसिकता प्रमाणित होती है,इसलिए अधिनियम की धारा 76 (2) का उल्लंघन मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति एवं कर आरोपित किया जाना पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति का अपास्त किया गया है,जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल से सम्बन्धित सभी वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी वैट–47 नही होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब के साथ सभी कारणों का उल्लेख करते हुए घोषणा पत्र एस टी वैट–47 की छाया प्रति संख्या ए 0948016 प्रस्तुत कर दी गयी थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट–47 की मूल प्रति मांगे जाने पर आदेश पारित करने से पूर्व वैट–47 संख्या ए 0948016 की मूल प्रति कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी,जिससे प्रमाणित होता है कि उसकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए शास्ति एवं कर आरोपण की कार्यवाही की है,जो उचित नहीं है। उन्होंने अपने

कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए अभिवाक् किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि माल चेकिंग परिवहनित माल के साथ केवल डिलीवरी स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नही होने से कर निर्धारण अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया,जिसके जवाब के साथ वैट–47 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग मारल के साथ केवल डिलीवरी स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अधिनियम के अन्तर्गत विहित अन्य कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर कर एवं शास्ति आरोपित की है,जिसको विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

शास्ति पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग माल के साथ वैट–47 नही होने के कारण नोटिस जारी करने पर वैट–47 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है और आदेश दिनांक 6.11.2012 पारित करते समय वैट–47 की मूल प्रति संख्या ए 948016 प्रस्तुत की गई है, जो पत्रावली के पेज 36 पर उपलब्ध है तथा छाया प्रति 38 उपलब्ध है।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite

document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्वान्त प्रतिपादित किया है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्वान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010)02 आर जी एस टी आर–डी–298 निर्णय दिनांक 26.10.2010, एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन नम्बर 214

निर्णय दिनांक 29.03.2011 वाणिज्यिक कर अधिकारी चेक पोस्ट,शाहजहांपुर, अलवर बनाम जे एल सी इलेक्ट्रोमेन्ट प्रा.लि. एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (2013) 35 डी यू डी 249 में पारित निर्णयों के सारगर्भित अंशों को उद्धरित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया है,जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य अनुभाव नहीं करती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11..2013 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य